न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/182 **दायरा दिनांक : 11.10.2023**

उनवान

1– गिरीश पुत्र पुरूषोत्तम, जाति ब्राहमण, निवासी बारां
2– सुरेश पुत्र पुरूषोत्तम, जाति ब्राहमण, (मृतक)
3– राजेन्द्र उर्फ दिनेश पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति ब्राहमण, निवासी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ.पी. मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना, नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 123/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम माथनी पटवारी हल्का माथना, तहसील बारां के माल में आराजी खसरा नं. 9 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं. 10 रकबा 4.31 हेक्टर, खसरा नं. 12 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 13 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 17 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नं. 18 रकबा 0.63 हेक्टर कुल 6 किता कुल रकबा 5.84 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 से वादीगण का वाद खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया, ना ही न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट कम 2 का देहान्त दौराने वाद हो चुका था जिसका प्रार्थना पत्र वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी कम 2 के आगे ना ही मृतक शब्द अंकित किया गया और ना ही किसी प्रकार का अपने निर्णय में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त आराजी संवत 2003 से 2005 में माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी व पुजारी के रूप में कन्हैयालाल व पुरूषोत्तम बेटे गोविन्दा, जाति ब्राहमण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो संवत 2037–2040 की जमाबंदी में भी खातेदार के कॉलम में माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी विराजमान बारां कन्हैयालाल, पुरूषोत्तम बेटा गोविन्दा, जाति ब्राहमण, निवासी बारां का नाम दर्ज है जिसमें नीचे मिसल नं. 51 रजिस्टर नं. 2 दिनांक 01.09.1942 में मौजा माथनी फोती माधोलाल हिस्सेदार 1/2 के बजाय कन्हैयालाल व पुरूषोत्तम का दाखिला मंजूर हुआ। इंतकाल नं. 667 उक्त रिकार्ड भी पत्रावली पर मौजूद था तथा अपीलांटगण व उसके पिता पुरूषोत्तम को बिना सुने सन् 1991 में उक्त आराजियात से नाम हटाया जाकर मंदिर श्री कल्याणरायजी के दर्ज कर दी गई इस प्रकार अपीलांटगण के पिता का नाम गलत रूप से बिना विधिक प्रकिया अपनाये राजस्व रिकार्ड हटाया गया है जिसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया तथा वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किया गया जिस पर राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकीयात कायम नहीं की गई जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे का निर्णय बिन्दुवार भी नहीं किया तथा वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य का कोई खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं करके न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 निरस्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने पक्ष के समर्थन में 2023 आर.बी.जे. पेज 297 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.08.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी का जवाब पेश हो चुका है। पत्रावली वास्ते तनकीयात दिनांक 24.10.2016 को पेश हो। पत्रावली में दिनांक 09.09.2022 की आदेशिका अनुसार भी पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात में नियत थी। दिनांक 11.11.2022 की आदेशिका में पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं कर सीधे साक्ष्य वादी में नियत कर दी गयी। साक्ष्य वादी के पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी हेतु भी अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली सीधे बहस में नियत की गयी।

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम नहीं की गई जिससे तनकीवार निर्णय नहीं हो सका।

हम माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय 2023 आर.बी.जे. पेज 297 श्री चारभुजा जी का मंदिर वाके भिमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जरिये ट्रस्टियान :– भीकमचन्द पुत्र भंवरलाल जी सिसोदिया फालना स्टेशन व अन्य **बनाम** भाना पुत्र केसा, जाति घांची, निवासी भिमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली व अन्य से सहमत है कि आदेश 14 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत वाद में तनकीयां कायम करना आवश्यक है, तत्पश्चात तनकीवार निर्णय पारित करना भी आवश्यक है।

उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करने से त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा